न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर–गाजीपुर।

मु0नं0– 582

मौजा– दुर्खुशी

पुष्पा पत्नी श्री जगरनाथ बनाम उ0 प्र0 सरकार

अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0अधि0

परगना–पचोतर, जिला–गाजीपुर

आदेश

उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा– 143 के तहत यह आवेदन पत्र पुष्पा पत्नी श्री जगरनाथ निवासिनी तवक्कलपुर उर्फ डण्डापुर के तरफ से इस आशय का दायर किया गया है कि मौजा–दुर्खुशी, परगना–पचोतर, तहसील–सदर, जनपद–गाजीपुर, भूमि खण्ड संख्या– 1929 रकबा 0.9150 हे0 संक्रमणीय भूमिधर एवं अधिपत्य भोगी है। प्रश्नगत भूभाग के चारो तरफ से बाउण्डरी एवं कमरा निर्मित है जिसमें कृषि कार्य नहीं होता है। मौके पर भूमि अकृषक हो गयी है। स्थलीय जांच के पश्चात् प्रश्नगत भूभाग जिसके चारो तरफ से बाउण्डरी व कमरा है को अकृषिक घोषित करने की माँग किया गया है।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार सदर द्वारा कराई गयी स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच के पश्चात् निर्धारित प्रारूप पर आख्या प्रेषित की गयी है कि मौजा–दुर्खुशी, परगना–पचोतर, तहसील–सदर, जनपद–गाजीपुर की उपरोक्त भूमि गाटा सं0– 1929 रकबा 0.9150 हे0 भूमि पुष्पा पत्नी श्री जगरनाथ निवासिनी तवक्कलपुर उर्फ डण्डापुर के नाम संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है जो चारो तरफ से चहारदीवारी के बीच है जिसपर कृषि कार्य नहीं होता है। अकृषिक घोषित करने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य कागजात एवं तहसीलदार की आख्या का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी एवं तहसीलदार सदर की आख्या के अनुसार भूमि खण्ड संख्या– 1929 रकबा 0.9150 हे0 भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है, मौके पर अकृषिक हो गयी है। मौके की स्थिति के अनुसार अकृषिक घोषित किया जाना औचित्य पूर्ण है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध कागजात एवं तहसीलदार सदर की आख्या के अनुसार मौजा–दुर्खुशी, परगना–पचोतर, तहसील–सदर, जनपद–गाजीपुर के उपरोक्त भू–खण्ड का कुल रकबा 0.9150 हे0 है जिसे अकृषिक घोषित किया जाता है तद्नुसार अभिलेख संशोधन हेतु परवाना अमल दरामद जारी होवे, आवश्यक अनुपालन के पश्चात् पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपजिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट सदर-गाजीपुर

दिनांक : 08–06–2016

हस्ताक्षरित
8-06-2016

TRUE COPY

Reader
S D M, Sadar
Ghazipur